

भारत सरकार BHARAT SARKAR
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD

No. 2003/RS(G)/779/2

New Delhi, dated: 11.06.2014

The General Manager, All Indian Railways & PUs including NF(C)
The General Manager, CORE, Allahabad
The General Manager, Metro Railway, Kolkata
The Director General, RDSO, Lucknow & Railway Staff College, Vadodara
CAO/Workshop Projects organization, Patna
CAO/DMW, Patiala and COFMOW, New Delhi
CAO/RCF/RBL/Old TA Building, Kishan Ganj, New Delhi

Sub: Capitalization of spares – increasing value limit thereof.

Ref: Railway Board letter No. 2003/RS(G)/779/2 dt. 15.4.2004

The existing value limit for capitalization of spares was enhanced from Rs. 1.5 lacs to Rs. 5 lacs by Board vide letter No. 2003/RS(G)/779/2 dt. 15.4.2004. In view of inflation and introduction of advanced technology of Rolling Stock in Indian Railways, there is need to revise this limit.

Hence existing value limit for capitalization of spares is enhanced from Rs. 5 lacs to Rs. 10 lacs.

'This is issued with the concurrence of Finance Dte. of Ministry of Railways.'

Santosh Mittal
(Santosh Mittal)
Dy. Director Railway Stores (G)
Railway Board

No. 2003/RS(G)/779/2

New Delhi, dated: 11.06.2014

Copy to:

1. FA&CAOs, All Indian Railways & Production Units.
2. CMEs, CEEs, CSTEs, All Indian Railways & PUs, WPO/Patna, RCF/RBL.
3. The ADAI(Railways), New Delhi (with 10 spares copies)
4. The Director of Audit, All Indian Railways.

ACM
for Financial Commissioner / Railways

1. The COSs, All Indian Railways/PUs, NF(C), Metro Railway-Kolkata, COFMOW, CORE, WPO and RWP/Bela
2. PCEs, All Indian Railways & PUs, COFMOW, DMW, WPO, RCF/RBL, and RWP/Bela
3. The Directors--
 - a. Indian Railway Institute of Sig. Engg. & Telecom, Secunderabad
 - b. Indian Railway Institute of Mech. & Elec. Engg., Jamalpur
 - c. Indian Railway Institute of Elect. Engg., Nasik
 - d. Sr. Prof. (Material. Management), Railway Staff College, Vadodara
 - e. Indian Railway Institute of Civil Engg., Pune
 - f. Indian Railway Institute of Logistics & Materials Management, IDA House, Sector IV, R K Puram, New Delhi
4. CMM/RCF/RBL, Kishan Ganj, Delhi
5. Chairman, Railway Rates Tribunal, Chennai
6. Director, Iron & Steel, 3, Koila Ghat Street, Kolkata
7. Executive Director (Stores), RDSO, Lucknow
8. Chief Commissioner, Railway Safety, Lucknow
9. Zonal Railway Training Institute, Sukadia Circle, Udaipur
10. Dy. CMM, WPO, 1st Floor, Chamber Bhawan, JC Road, Patna

Santosh Mittal
(Santosh Mittal)

Dy. Director Railway Stores (G)
Railway Board

Copy to :

1. The General Secretary , AIRF, 4 State Entry Road , New Delhi.
2. The General Secretary , NFIR, 3 Chelmsford Road, New Delhi.
3. The Secretary General, IRPOF, Room No. 268, Rail Bhavan, New Delhi
4. The Secretary General, FROA, Room No. 256-D, Rail Bhavan, New Delhi.
5. The Secretary General, AIRPFA, Room No. 256-D, Rail Bhavan, New Delhi

Santosh Mittal
(Santosh Mittal)

Dy. Director Railway Stores (G)
Railway Board

Copy to:- Sr. PPSs / PPS / PS to :

- (i) MR, MOS(R)
- (ii) CRB, FC, ME, ML, MM, MS, MT, SECY., DG (RHS), DG (RPF)
- (iii) All AMs and Advisors of Railway Board
- (iv) All Executive Directors of Railway Board
- (v) All Directors of Elect., Engg., Finance, Mech., Stores, Signal & Telecom Dte. &
- (vi) All Branches of Elect., Engg., Finance, Mechanical, Stores, Signal & Telecom Dte.

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

सं. 2003/आरएस(जी)/779/2

नई दिल्ली, दिनांक: 11 .06.2014

महाप्रबंधक, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे (निर्माण) सहित सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां,
महाप्रबंधक, कोर, इलाहाबाद।
महाप्रबंधक, मेट्रो रेलवे, कोलकाता।
महानिदेशक, अ.अ.मा.सं. लखनऊ एवं रेलवे स्टाफ कॉलेज, वडोदरा।
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/ वर्कशॉप परियोजना संगठन, पटना।
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/ डीएमडब्ल्यू, पटियाला एवं कॉफमो, नई दिल्ली।
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/ आरसीएफ/आरबीएल/ ऑल्ड टीए बिल्डिंग, किशनगंज, नई दिल्ली।

विषय: अतिरिक्त पुर्जों के पूंजीकरण की मूल्य सीमा में वृद्धि करना।

संदर्भ: बोर्ड का दिनांक 15.4.2004 का पत्र सं. 2003/आरएस (जी)/779/2

बोर्ड द्वारा दिनांक 15.4.2004 के पत्र सं. 2003/आरएस(जी)/779/2 के तहत अतिरिक्त पुर्जों के पूंजीकरण की मौजूदा मूल्य सीमा को 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया गया था। मुद्रा स्फीति तथा भारतीय रेलों में रॉलिंग स्टॉक की उन्नत प्रोद्योगिकी के समावेशन को देखते हुए, इस सीमा में संशोधन करने की आवश्यकता है।

अतः, अतिरिक्त पुर्जों के पूंजीकरण की मौजूदा मूल्य सीमा को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये किया जाता है।

इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

सन्तोष मिश्रा
(सन्तोष मिश्रा)

उप निदेशक रेलवे भंडार (सा.)।
रेलवे बोर्ड

सं. 2003/आरएस(जी)/779/2

नई दिल्ली, दिनांक: 11 .06.2014

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां।
2. सीएमई, सीईई, सीएसटीई, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां, डब्ल्यूपीओ/पटना, आरसीएफ/आरबीएल।
3. एडीएआई (रेलें), नई दिल्ली (10 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
4. निदेशक, लेखा परीक्षा, सभी भारतीय रेलें।

अशोक

कृते वित्त आयुक्त/रेलें

.....2/-

सं. 2003/आरएस(जी)/779/2

नई दिल्ली, दिनांक: 11.06.2014

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. सीओएस/सभी भारतीय रेलें /उत्पादन इकाइयां, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे, मेट्रो रेलवे-कोलकाता, कॉफमो, कोर, डब्ल्यूपीओ एवं आरडब्ल्यूपी/बेला।
2. पीसीई, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां, कॉफमो, डीएमडब्ल्यू, डब्ल्यूपीओ, आरसीएफ/आरबीएल एवं आरडब्ल्यूपी/बेला।
3. निदेशक
क) भारतीय रेल सिगनल इंजीनियरी एवं दूरसंचार संस्थान, सिंकदराबाद।
ख) भारतीय रेल यांत्रिक एवं बिजली इंजीनियरी संस्थान, जमालपुर।
ग) भारतीय रेल बिजली इंजीनियरी संस्थान, नासिक।
घ) वरिष्ठ प्रोफेसर (सामग्री प्रबंधन), रेलवे स्टाफ कॉलेज, वडोदरा।
ड) भारतीय रेल सिविल इंजीनियरी संस्थान, पूना।
च) भारतीय रेल लॉजिस्टिक्स एवं सामग्री प्रबंधन, आईडीए हाऊस, सैक्टर - IV, आर के पुरम, नई दिल्ली।
4. सीएमएम/आरसीएफ/आरबीएल, किशनगंज, दिल्ली।
5. अध्यक्ष, रेल दर प्राधिकरण, चैन्नई।
6. निदेशक, लौह एवं इस्पात, 3, कोयला घाट स्ट्रीट, कोलकाता।
7. कार्यापालक निदेशक (भंडार), अ.अ.मा.सं., लखनऊ।
8. मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त, लखनऊ।
9. क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण संस्थान, सुकाडिया सर्कल, उदयपुर।
10. डिप्टी सीएमएम/डब्ल्यूपीओ, प्रथम तल, चैम्बर भवन, जे.सी. रोड. पटना।

सन्तोष मित्तल
(सन्तोष मित्तल)

उप निदेशक रेलवे भंडार (सा.)।
रेलवे बोर्ड

सं. 2003/आरएस(जी)/779/2

नई दिल्ली, दिनांक: 11.06.2014

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. जनरल सेक्रेटरी, एआईआरफ, 4 स्टेट एंटी रोड, नई दिल्ली।
2. जनरल सेक्रेटरी, एनएफआईआर, 3 चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली।
3. सेक्रेटरी जनरल, इरपोफ, कमरा नं. 268, रेल भवन, नई दिल्ली।
4. सेक्रेटरी जनरल, फ़ोआ, कमरा नं. 256-डी, रेल भवन, नई दिल्ली।
5. सेक्रेटरी जनरल, एआईआरपीएफए, कमरा नं. 256 डी, रेल भवन, नई दिल्ली।

सन्तोष मित्तल
(सन्तोष मित्तल)

उप निदेशक रेलवे भंडार (सा.)।
रेलवे बोर्ड